प्रकरण संख्या–81 / 15 2017 / 00006 तारीख रजु 10.08.2015

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस.

उनवान

कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी जिला करौली जरिये सचिव

बनाम

1. भगवानसहाय बंसल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल उम्र 60 वर्ष जाति महाजन निवासी पुरानी मण्डी हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. भोगराज बंसल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल उम्र 56 वर्ष जाति महाजन निवासी पुरानी मण्डी हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. मुकेश बंसल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल उम्र 41 वर्ष जाति महाजन निवासी पुरानी मण्डी हिण्डौन सिटी जिला करौली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256–257 के अन्तर्गत वसूली हेतु आवेदन पत्र।

निर्णय

दिनांक–27.03.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256–257 के अन्तर्गत वसूली हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज जी–1 26 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के स्थित Clause 6 प्रावधान अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (DLSC) से Clause 9(C) ii के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र 7 पर पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर ही मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट पाने की कानूनन अधिकारी थी परन्तु दोषी फर्म ने कपट एवं धोखा देकर बिना नियम Clause 9(C) i के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष नियम अनुसार बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किये कमेटी की बिना Approval के तथा बिना पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये 50 प्रतिशत छूट का लाभ लेकर मण्डी शुल्क की देय राशि का अपवंचन किया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के Clause 10 के अंतर्गत उक्त मंडी शुल्क की राशि का 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली करने का प्रावधान है। मण्डी शुल्क जो राजस्थान कृषि विपणी अधिनियम 1961 की धारा 17 के अन्तर्गत देय तथा धारा 34 के अन्तर्गत ऐरियर लैण्ड रेवेन्यू की भॉति वसूली योग्य राशि है। कुल राशि 679000 अक्षरें छः लाख उन्यासी हजार रूपये है। फर्म मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज द्वारा मण्डी शुल्क छूट विवरण के घोषणा पत्र वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 के बावत प्राप्त फोटोप्रति जो फर्म के प्रतिनिधी के हस्ताक्षरयुक्त फोटोप्रति के आधार पर तैयार स्टेंटमेट देय राशि बतौर ऐरियर लैण्ड रेवन्यू वसूली योग्य है। स्टेंटमेंट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। श्रीमान क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग खण्ड कोटा द्वारा दिनांक 23.04.2015 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत मण्डी शुल्क में ली गई अनियमित छूट की जानकारी हुई। उक्त अपवंचित मण्डी शुल्क की राशि की मय ब्याज के अदा करने को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस कार्यालय के पत्र क्रमांक कृ.उ.म.स. / RIPS / हिण्डौन / 106–108 दिनांक 27.04.2015 भेजा गया जो कि दोषी फर्म को प्राप्त हो गया। इसके बाद पुनः दिनांक 18.05.2015 को पुनः नोटिस जारी किया गया। परन्तु दोषी फर्म द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है। फर्म की नियत में खोंट होने के कारण Rajastjan Land

जिला कलक्टर करौली

Revenue Act 1956 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देय मण्डी शुल्क की वसूली के लिये विपक्षी नं. 1 और 2 फर्म के प्रतिनिधि होने के कारण तथा विपक्षी नं. 2 फर्म में गारन्टर होने के कारण अदा करनें के लिये पूर्णतयः उत्तरदायी हैं। देय अपवंचित मण्डी शुल्क की राशि कृषि विपणी अधिनियम 1961 की धारा 17 एवं धारा 34 के अन्तर्गत ऐरियर लैण्ड रेवेन्यू (Arrear Land Revenue) होने के कारण राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (Rajasthan land Revenue act 1956) की धारा 256, 257 एवं 257ए एवं अग्रिम सम्बन्धित धाराओं के (एफ) सम्पत्ति का विवरण जिसके विरूद्ध प्रक्रिया क्रियान्वित की जावे है–(1) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स भोगराज ट्रेडिंग कम्पनी की है जो पूर्व दिशा झॉकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नम्बर 08 ब्लाक सी में स्थित है, जिसका स्वामी एवम् कब्जा भोगराज बसंल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–7 मैसर्स राधेश्याम रामोतार, उत्तर दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–9 मैसर्स महेश एण्ड कम्पनी। उपरोक्त दुकान का नजरी नक्शा संलग्न है। (2) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स कल्याण प्रसाद भगवान सहाय की है जो पश्चिम दिशा झॉकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नम्बर 19 ब्लाक बी में स्थित हैं, जिसका स्वामी एवम् कब्जा भगवान सहाय पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार है–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा–दुकान मय गोदाम पुख्ता बी–20 मैसर्स सत्यप्रकाश महेशचंद, उत्तर दिशा–दुकान मय गोदाम पुख्ता बी–18 मैसर्स मुकेश एण्ड ब्रादर्स। उपरोक्त दुकान का नजरी नक्शा संलग्न है। (3) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स रामहरि एण्ड ब्रादर्स की है जो पूर्व दिशा झांकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नंबर 22 ब्लॉक सी में स्थित है जिसका स्वामी एवं कब्जा भगवान बंसल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–21 खाली है, उत्तर दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–23 खाली है। उपरोक्त दुकान का नजरी नक्शा संलग्न है। बैंक खातों का विवरण :– 1. मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज खाता संख्या––उपरोक्त सम्पत्ति एवं बैंक खातों की कुर्की कर देय राशि वसूल की जावें। उक्त राशि की वसूली हेतु पूर्ण प्रयास कर लिये गये हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थीगण ने अपना जबाव पेश कर निवेदन किया है कि कृषि उपज मण्डी समिति ने रिकॉर्ड के विपरीत व गलत तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रार्थना–पत्र वसूली हेतु मैसर्स के.वी.इण्डस्ट्रीज हिण्डौन सिटी के मालिक स्वर्गीय श्री कल्याण प्रसाद बंसल की दिनांक 23.06.2014 को मृत्यु हो जाने के पश्चात अप्रार्थीगण के विरूद्ध संस्थित किया है। कृषि उपज मंडी समिति हिण्डौन सिटी द्वारा जारी नोटिस अवैध है क्योंकि यह नोटिस संबंधित फर्म मैसर्स के0वी0 इण्डस्ट्रीज हिण्डौन सिटी को जारी नहीं कर हम प्रार्थीगण को जारी किया गया है जबकि मंडी शुल्क में छूट फर्म को दी गई थी। अतः नियमानुसार यदि नोटिस जारी करना आवश्यक था तो संबंधित फर्म को नोटिस जारी करना चाहिए था। राजस्थान राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजना–2003 (प्रोत्साहन योजना) में वर्णित नियमों की पालना में प्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति ने मण्डी शुल्क में नियमानुसार 50 प्रतिशत की चार वर्ष की अवधि हेतू छूट प्रदान की थी। कृषि उपज मण्डी समिति के पदाधिकारी के तत्समय समस्त दस्तावेजात् को देखकर व परिशीलन कर व यह सुनिश्चित कर कि मैसर्स के.वी.इण्डस्ट्रीज, हिण्डौन सिटी के प्रोत्साहन योजना में वर्णित समस्त नियमों की पालना की है, व अपनी इण्डस्ट्रीज को विधिवत रूप से स्थापित कर तय समय सीमा में उत्पादन दिनांक : 07.07.2009 से प्रारम्भ कर दिया था, के पश्चात् ही मण्डी समिति ने मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज को मण्डी शुल्क में छूट प्रदान की थी। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति हिण्डौन सिटी द्वारा समस्त

जिला कलक्टर
करौली

वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : प.6 (36) कृषि ग्रुप–2/2003 दिनांक : 26.07.2003 व निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के पत्रांक : 39897–907 दिनांक 5 21.11.2005 के संदर्भ में एवं मण्डी समिति हिण्डौन सिटी के प्रस्ताव सं. 32 दिनांक 30.06.2009 के निर्णय अनुसार मैसर्स के.वी.इण्डस्ट्रीज को मण्डी शुल्क में छूट प्रदान की थी। इस प्रकार मंडी समिति हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय को बदलने का नैतिक एवं विधिक अधिकार सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन सिटी को नहीं है। मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज ने समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी को प्रस्तुत किया गया था एवं समय–समय पर मांग किये गये समस्त दस्तावेजात भी के.वी.इण्डस्ट्रीज द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति को उपलब्ध करा दिये गये थे। योग्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में के.वी. इण्डस्ट्रीज ने सदस्य, सचिव जिला उद्योग केन्द्र, करौली को अपना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अभिस्वीकृति के.वी. इण्डस्ट्रीज के पक्ष में जारी की गई जो कि कृषि उपज मण्डी समिति को उपलब्ध करवा दिया गया था। सचिव कृषि उपज मण्डी समिति को एक लोक अधिकारी होने के नाते मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के पक्ष में जारी किये गये योग्यता प्रमाण पत्र के संदर्भ में यदि कोई संदेह था तो जिला उद्योग केन्द्र करौली से उक्त के बारे में सत्यापन करना चाहिये परंतु प्रोत्साहन योजना के तहत सम्पूर्ण अवधि 4 वर्ष के लिये मण्डी शुल्क में छूट प्रदान करने के पश्चात् व मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के मालिक श्री कल्याण प्रसाद की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनको हैरान व परेशान करने के लिये मनगढन्त व गलत तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है जो कि विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अवैध व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। मण्डी समिति के उक्त अवैध कृत्य के बाद के.वी. इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर स्व. श्री कल्याण प्रसाद की मृत्यु के बाद हम प्रार्थीगण द्वारा फर्म से संबंधित पुराने रिकॉर्ड की जानकारी न होने के कारण जिला उद्योग केन्द्र करौली द्वारा पूर्व में जारी मण्डी शुल्क की छूट संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र जो कि जिला उद्योग केन्द्र करौली के द्वारा मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के पक्ष में जारी किया गया था, की प्रमाणित या द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किये जाने पर जिला उद्योग केन्द्र करौली ने उक्त योग्यता प्रमाण पत्र दिनांक 01.06.2012 की प्रमाणित/द्वितीय प्रति दिनांक 08.09.2015 को जारी कर उपलब्ध करवाई गई। उक्त योग्यता प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के द्वारा तत्समय ही दिनांक 07.07.2009 को उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था। जिला उद्योग केन्द्र करौली के द्वारा जारी की गई योग्यता प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति की फोटोप्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन समिति को उक्त वसूली की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन सिटी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 81/2015 प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है क्योंकि मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 30.06.2009 को निरस्त करने का अधिकार सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन समिति को नहीं है क्योंकि मण्डी समिति एक निर्वाचित संस्था है। निवेश प्रोत्साहन योजना 2003, जो कि समय समय पर संशोधित की गई है के क्लॉज 13 के उप क्लॉज बी के अनुसार भी मण्डी शुल्क में छूट का आदेश प्रदान करने के पश्चात् एवं सम्पूर्ण अवधि में छूट देने के पश्चात् व प्रारम्भिक छूट के आदेश की दिनांक से 5 वर्ष समाप्त होने के पश्चात् मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज व श्री कल्याण प्रसाद के उत्तराधिकारियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती है। अतः वर्तमान प्रार्थना पत्र इसी आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रोत्साहन योजना 2003 संशोधित दिनांक 02.12.2005 तक के क्लॉज 13 के सबक्लॉज बी निम्नानुसार है–Revision by the State Government- (b) No order under the sub clause (a) shall be passed by the State Government after the expiry of a period five years after the date by which the benefits under the scheme are fully availed of. मण्डी समिति के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में लगाये गये सभी आक्षेपों से इंकार है। उक्त प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
करौली

मनगढंत, असत्य व पत्रावली के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को मय क्षतिपूर्ति 100000/–रुपये खारिज करने का निवेदन किया गया है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा उसका जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि कल्याण प्रसाद बंसल ने 30.06.2009 को के.वी. इण्डस्ट्रीज, (जिसका पूरा नाम कल्याण भगवान है), के नाम से अधिसूचित कृषि जिन्सो का कारोबार करने का आवेदन कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन में प्रपत्र–7 में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिनिधि व सहायकों के रूप में अप्रार्थी भगवानसहाय एवं भोगराज पिसरान कल्याण प्रसाद का नाम दर्ज किया है। तथा कल्याण प्रसाद भगवानसहाय पुरानी मण्डी हिण्डौन का पता दर्ज है। इस प्रपत्र संख्या 7 के समर्थन में अप्रार्थी भगवानसहाय बंसल एवं मुकेश बंसल ने देय मण्डी शुल्क एवं अन्य कर के भुगतान बाबत् गारंटर के रूप में 100–100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिनांक 16.06.2009 को नोटेरी पब्लिक हिण्डौन सिटी से तस्दीक कराकर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। कल्याण प्रसाद बंसल के.वी.इण्डस्ट्रीज के नाम से कारोबार करते थे जिनकी मृत्यु 23.06.2014 को होने के बाद अप्रार्थीगण ही के.वी.इण्डस्ट्रीज का समस्त कारोबार, लेन–देन, बैंक ऑपरेशन एवं कृषि जिन्स का क्रय–विक्रय करते है एवं वाणिज्य कर विभाग तथा आयकर विभाग आदि में कल्याण प्रसाद बंसल के उत्तराधिकारी के रूप में के.बी.इण्डस्ट्रीज का नियमित रूप से कारोबार कर रहे है। अप्रार्थीगण ने के.बी. इण्डस्ट्रीज से अपना कोई संबंध नहीं होने का इंकार नहीं किया है। ना ही अनुज्ञापत्र में परिवर्तन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया और ना ही अनुज्ञापत्र सरेण्डर किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण 1 ता 3 के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही सही संस्थित की है। जबाव के मद नम्बर 2 में कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन द्वारा जारी नोटिस अवैध बतानें का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कल्याण प्रसाद बंसल के.बी. इण्डस्ट्रीज के नाम से वारिश तथा बकाया देय मण्डी शुल्क के गारन्टर/जमानती के रूप में अप्रार्थीगण ही अदायगी के कारोंबार करने वाले व्यक्ति ही मण्डी शुल्क अदायगी के जिम्मेंदार होने के कारण अप्रार्थीगण को कानूनन नोटिस जारी किये गये है। जबाव का मद नम्बर 3 जिस प्रकार दर्ज किया है वह गलत है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 में दर्ज नियमानुसार 50 प्रतिशत मण्डी शुल्क में छूट का प्रावधान है परन्तु छूट प्रदान होना कानून के विपरीत दर्ज किया है। के.बी. इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर श्री कल्याण प्रसाद बंसल ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट हेतु कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 5 (उधोग विभाग का पात्रता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र) में प्रमाण–पत्र संलग्न दर्शाया है। जबकि के.बी. इण्डस्ट्रीज को रिप्स 2003 के नियमानुसार नियम 9 (C)(2) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित फार्म नम्बर 7 में मण्डी शुल्क में नियम के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रेनिंग कमेटी से छूट का प्रमाण–पत्र जारी ही नहीं किया गया। इस नियम के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रेनिंग कमेटी से छूट का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का कानूनन अधिकार था फर्म ने कृषि उपज मण्डी समिति को गुमराह करते हुये इण्डस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन की Acknowledgement की प्रति (फार्म नम्बर 9) प्रस्तुत करते हुये छूट प्राप्त कर ली, जो कानून के विपरीत है। जिसकी प्रति संलग्न है। जबाव का मद नम्बर 4 स्वीकार नहीं गलत तथ्य दर्ज किये है। के.बी. इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर प्रतिनिधि, सहायक ने कृषि उपज मण्डी समिति को गुमराह करते हुयें जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जारी किया जाने वाला पात्रता प्रमाण–पत्र बतातें हुये अनियमित छूट प्राप्त की है। जो कि कानूनन गलत है एवं देय मण्डी शुल्क वसूली योग्य है। प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 03.06.2009 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के नियम 9 (C)(2) के प्रावधान के अन्तर्गत जिला स्क्रेनिंग कमेटी का प्रमाण–पत्र नहीं है। अतः प्रस्ताव संख्या 32 कानूनी दृष्टि से Void Abnit हैं जो कानूनी दृष्टि से प्रभाव शून्य हैं। जिसे अवलोकन कर कानूनन कार्य करने का अधिकार कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन वं उसके उच्च अधिकारियों को है। मद नम्बर 5 स्वीकार नहीं है। के.बी.

जिला कलक्टर
करौली

इण्डस्ट्रीज द्वारा नियम 9 (C)(2) के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा छूट का प्रमाण–पत्र पेश करना कानूनन आवश्यक था जो अप्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। तथा मद नम्बर 5 में पेश करना असत्य दर्शाया हैं। जबाव का मद नम्बर 6 असत्य दर्ज किया है। इस मद में दर्ज प्राप्त पात्रता प्रमाण–पत्र 9 (C)(2) के अनुरूप नहीं है। पात्रता प्रमाण–पत्र के बारे में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1673–74 दिनांक 19.12.2014, 1768–69 दिनांक 13.01.2015 एवं पुनः 94–96 दिनांक 23.04.2015 द्वारा सम्बन्धित फर्म के.बी. इण्डस्ट्रीज एवं श्रीमान महाप्रबन्धक जिला उधोग केन्द्र जिला करौली को लिखा गया। श्रीमान् महाप्रंधक जिला उधोग केन्द्र करौली ने अपने पत्रांक प.2() लेखा/रिप्स 2003/308 दिनांक 07.05.2015 द्वारा यह अवगत कराया कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रिप्स 2003 की योजना में सुविधा लेने वाले विभाग एवं संबंधित इकाई को पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति प्रेषित की जाती है। इसलियें आप ईकाई से ही जानकारी प्राप्त करे कि उन्होने कब और किस सुविधा के लिये आवेदन किया। फर्म के.बी. इण्डस्ट्रीज को जारी किये गये तीन–तीन पत्रों पर भी के.बी. इण्डस्ट्रीज द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। कृषि उपज मण्डी समिति के अधिकारी एवं उच्च अधिकारीगण से प्रार्थीगण की कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है अपितु कानून विरूद्ध मण्डी शुल्क में छूट प्राप्त की उसे वसूल करने का कानूनी दायित्व है। जबाव का मद नम्बर 7 स्वीाकर नहीं। के.बी.इण्डस्ट्रीज के प्रोपराईटर कल्याण प्रसाद की मृत्यु के बाद तथा प्रपत्र 7 के अनुसार एवं अप्रार्थीगण द्वारा बकाया मण्डी शुल्क के गारन्टर होने के कारण तथा कल्याण प्रसाद की मृत्यु के बाद के.बी.इण्डस्ट्रीज का समस्त व्यापारिक कार्य करने के कारण अप्रार्थीगण मण्डी शुल्क अदायगी के लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार है। इस मद में दर्ज मण्डी शुल्क छूट सम्बन्धी पात्रता प्रमाण–पत्र जिला उधोग केन्द्र करौली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र नहीं है केवल इण्डस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन के Acknowledgement की प्रति है। जबाव के मद नम्बर 8 में वसूली की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं होना गलत दर्ज किया है। राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 17 व 34 के अन्तर्गत देय अपवंचित मण्डी शुल्क की राशि एरियर लैण्ड रेवेन्यू होने के कारण राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 256–57 एवं अग्रिम सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत वसूली योग्य है। प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 30.06. 2009 void Abnit हैं। ऐसा कथित प्रस्ताव मण्डी समिति को मण्डी शुल्क में छूट का पात्रता प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रस्ताव पारित करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था इसी कारण यह प्रस्ताव void Abnit है। जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। कृषि उपज मण्डी समिति निर्वाचित संस्था नहीं है, बल्कि लीगल बॉडी है। जबाव के मद नम्बर 9 जिस प्रकार वर्णित किया है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के नियम 13 के क्लाज a.b को कानूनन पढने में भूल की। प्रावधान 13(a) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पारित आदेश को कानूनी विरूद्ध पाये जाने पर उसका पुनरावलोकन करने पर तथा 13 () में पॉच वर्ष की अवधि समय सीमा निर्धारित की है। इस कारण अप्रार्थीगण ने नियम 13 a.b को समझने व पढनें में भूल की हैं, क्योंकि अप्रार्थीगण नें स्क्रीनिंग कमेटी का कोई पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया तो पुनरावलोकन का ऐतराज कानून विरूद्ध तथा वर्णित ऐतराज कानूनी दृष्टि से मेनटेबल नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज जी–1 26 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के स्थित Clause 6 प्रावधान अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (DLSC) से Clause 9(C) ii के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र 7 पर पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर ही मैसर्स के.वी.

जिला कलक्टर
करौली

इण्डस्ट्रीज मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट पाने की कानूनन अधिकारी थी। फर्म खाद्य तेल (Edible Oil) का कार्य कर रही थी जो कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.4(18)FD/Tax Div/2001 Jaipur dated : 28.07.2003 Amended up to 02.12.2005 के Annexure-I के अनुसार List of industries not eligible for the Interest Subsidy की सूची में शामिल है। इसलिये के.बी.इण्डस्ट्रीज को रिप्स 2003 के नियमानुसार नियम 9 (C)(2) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित फार्म नम्बर 7 में मण्डी शुल्क में नियम के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रेनिंग कमेटी से छूट का प्रमाण–पत्र जारी ही नहीं किया गया। फिर भी दोषी फर्म ने कपट एवं धोखा देकर केवल Acknowledgement के आधार पर बिना नियम Clause 9(C) i के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समझ नियम अनुसार बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किये कमेटी की बिना Approval के तथा बिना पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये 50 प्रतिशत छूट का लाभ लेकर मण्डी शुल्क की देय राशि का अपवंचन किया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के Clause 10 के अंतर्गत उक्त मंडी शुल्क की राशि का 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली करने का प्रावधान है। कुल राशि 679000 अक्षरें छः लाख उन्यासी हजार रूपये है। फर्म मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज द्वारा मण्डी शुल्क छूट विवरण के घोषणा पत्र वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 के बावत प्राप्त फोटोप्रति जो फर्म के प्रतिनिधी के हस्ताक्षरयुक्त फोटोप्रति के आधार पर तैयार स्टेंटमेट देय राशि बतौर ऐरियर लैण्ड रेवन्यू वसूली योग्य है। उक्त अपवंचित मण्डी शुल्क की राशि की मय ब्याज के अदा करने को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दिनांक 27.04.2015 भेजा गया जो कि दोषी फर्म को प्राप्त हो गया। इसके बाद पुनः दिनांक 18.05.2015 को नोटिस जारी किया गया। परन्तु दोषी फर्म द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है। कल्याण प्रसाद बंसल ने 30.06.2009 को के.वी. इण्डस्ट्रीज, (जिसका पूरा नाम कल्याण भगवान है), के नाम से अधिसूचित कृषि जिन्सो का कारोबार करने का आवेदन कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन में प्रपत्र–7 में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिनिधि व सहायकों के रूप में अप्रार्थी भगवानसहाय एवं भोगराज पिसरान कल्याण प्रसाद का नाम दर्ज किया है तथा कल्याण प्रसाद भगवानसहाय पुरानी मण्डी हिण्डौन का पता दर्ज है। इस प्रपत्र संख्या 7 के समर्थन में अप्रार्थी भगवानसहाय बंसल एवं मुकेश बंसल ने देय मण्डी शुल्क एवं अन्य कर के भुगतान बाबत् गारंटर के रूप में 100–100 रूप्ये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिनांक 16.06.2009 को नोटेरी पब्लिक हिण्डौन सिटी से तस्दीक कराकर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। फर्म के प्रोपराईटर श्री कल्याण प्रसाद के फौत होने के उपरांत अप्रार्थीगण द्वारा फर्म का समस्त कार्य किये जाने, श्री कल्याण प्रसाद के विधिक वारिसान होने, विपक्षी नं. 1 और 2 फर्म के प्रतिनिधि होने के कारण तथा विपक्षी नं. 1 व 3 के फर्म में गारन्टर होने इत्यादि कारणों से अप्रार्थीगण देय मण्डी शुल्क की वसूली के लिये पूर्णतयः उत्तरदायी हैं। प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 03.06.2009 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के नियम 9 (C)(2) के प्रावधान के अन्तर्गत जिला स्क्रेनिंग कमेटी का प्रमाण–पत्र नहीं है। अतः प्रस्ताव संख्या 32 कानूनी दृष्टि से Void Abnit हैं जो कानूनी दृष्टि से प्रभाव शून्य हैं। अप्रार्थीगण ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के नियम 13 के क्लाज a.b को कानूनन पढने में भूल की। प्रावधान 13(a) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पारित आदेश को कानूनी विरूद्ध पाये जाने पर उसका पुनरावलोकन करने पर तथा 13 () में पॉच वर्ष की अवधि समय सीमा निर्धारित की है। इस कारण अप्रार्थीगण ने नियम 13 a.b को समझने व पढनें में भूल की हैं, क्योंकि अप्रार्थीगण नें स्क्रीनिंग कमेटी का कोई पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया तो पुनरावलोकन का ऐतराज कानून विरूद्ध तथा वर्णित ऐतराज कानूनी दृष्टि से मेंनटेबल नहीं है। अप्रार्थीगण पर मण्डी शुल्क की राशि बकाया निकाले जाने एवं अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरांत अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 34(2)(b) के तहत निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अब अवधिपार हो जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मण्डी शुल्क की बकाया राशि के संबंध में अप्रार्थीगण को तत्समय ही निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत

जिला कलक्टर
करौली

अधिकारी के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही की गई। इस स्तर पर चुनौती प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चुनौती को खारिज फरमाया जावे। देय अपवंचित मण्डी शुल्क की राशि कृषि विपणी अधिनियम 1961 की धारा 17 एवं धारा 34 के अन्तर्गत ऐरियर लैण्ड रेवेन्यू होने के कारण राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 256, 257 एवं 257ए एवं अग्रिम सम्बन्धित धाराओं के (एफ) के तहत सम्पत्तियों (1) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स भोगराज ट्रेडिंग कम्पनी की है जो पूर्व दिशा झॉकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नम्बर 08 ब्लाक सी में स्थित है, जिसका स्वामी एवम् कब्जा भोगराज बसंल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–7 मैसर्स राधेश्याम रामोतार, उत्तर दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–9 मैसर्स महेश एण्ड कम्पनी। उपरोक्त दुकान का नजरी नक्शा संलग्न है। (2) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स कल्याण प्रसाद भगवान सहाय की है जो पश्चिम दिशा झॉकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नम्बर 19 ब्लाक बी में स्थित हैं, जिसका स्वामी एवम् कब्जा भगवान सहाय पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार है–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा–दुकान मय गोदाम पुख्ता बी–20 मैसर्स सत्यप्रकाश महेशचंद, उत्तर दिशा–दुकान मय गोदाम पुख्ता बी–18 मैसर्स मुकेश एण्ड ब्रादर्स। उपरोक्त दुकान का नजरी नक्शा संलग्न है। (3) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स रामहरि एण्ड ब्रादर्स की है जो पूर्व दिशा झांकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नंबर 22 ब्लॉक सी में स्थित है जिसका स्वामी एवं कब्जा भगवान बंसल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–21 खाली है, उत्तर दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–23 खाली है। उपरोक्त दुकान का नजरी नक्शा संलग्न है। बैंक खातों का विवरण :– 1. मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज खाता संख्या –– आदि की कर देय राशि वसूल की जावें। उक्त राशि की वसूली हेतु पूर्ण प्रयास कर लिये गये हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि कृषि उपज मण्डी समिति ने रिकॉर्ड के विपरीत व गलत तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रार्थना–पत्र वसूली हेतु मैसर्स के.वी.इण्डस्ट्रीज हिण्डौन सिटी के मालिक स्वर्गीय श्री कल्याण प्रसाद बंसल की दिनांक 23.06.2014 को मृत्यु हो जाने के पश्चात अप्रार्थीगण के विरूद्ध संस्थित किया है। कृषि उपज मंडी समिति हिण्डौन सिटी द्वारा जारी नोटिस अवैध है क्योंकि यह नोटिस संबंधित फर्म मैसर्स के0वी0 इण्डस्ट्रीज हिण्डौन सिटी को जारी नहीं कर हम प्रार्थीगण को जारी किया गया है जबकि मंडी शुल्क में छूट फर्म को दी गई थी। अतः नियमानुसार यदि नोटिस जारी करना आवश्यक था तो संबंधित फर्म को नोटिस जारी करना चाहिए था। राजस्थान राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजना–2003 (प्रोत्साहन योजना) में वर्णित नियमों की पालना में प्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति ने मण्डी शुल्क में नियमानुसार 50 प्रतिशत की चार वर्ष की अवधि हेतू छूट प्रदान की थी। कृषि उपज मण्डी समिति के पदाधिकारी के तत्समय समस्त दस्तावेजात् को देखकर व परिशीलन कर व यह सुनिश्चित कर कि मैसर्स के.वी.इण्डस्ट्रीज, हिण्डौन सिटी के प्रोत्साहन योजना में वर्णित समस्त नियमों की पालना की है, व अपनी इण्डस्ट्रीज को विधिवत रूप से स्थापित कर तय समय सीमा में उत्पादन दिनांक : 07.07.2009 से प्रारम्भ कर दिया था, के पश्चात् ही मण्डी समिति ने मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज को मण्डी शुल्क में छूट प्रदान की थी। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति हिण्डौन सिटी द्वारा समस्त वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : प.6 (36) कृषि ग्रुप–2/2003 दिनांक : 26.07.2003 व निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के पत्रांक : 39897–907 दिनांक 5 21.11.2005 के संदर्भ में एवं मण्डी समिति हिण्डौन सिटी के प्रस्ताव सं. 32 दिनांक 30.06.2009 के निर्णय अनुसार

जिला कलक्टर
करौली

मैसर्स के.वी.इण्डस्ट्रीज को मण्डी शुल्क में छूट प्रदान की थी। इस प्रकार मंडी समिति हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय को बदलने का नैतिक एवं विधिक अधिकार सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन सिटी को नहीं है। मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज ने समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी को प्रस्तुत किया गया था एवं समय–समय पर मांग किये गये समस्त दस्तावेजात भी के.वी.इण्डस्ट्रीज द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति को उपलब्ध करा दिये गये थे। योग्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में के.वी. इण्डस्ट्रीज ने सदस्य, सचिव जिला उद्योग केन्द्र, करौली को अपना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अभिस्वीकृति के.वी. इण्डस्ट्रीज के पक्ष में जारी की गई जो कि कृषि उपज मण्डी समिति को उपलब्ध करवा दिया गया था। सचिव कृषि उपज मण्डी समिति को एक लोक अधिकारी होने के नाते मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के पक्ष में जारी किये गये योग्यता प्रमाण पत्र के संदर्भ में यदि कोई संदेह था तो जिला उद्योग केन्द्र करौली से उक्त के बारे में सत्यापन करना चाहिये परंतु प्रोत्साहन योजना के तहत सम्पूर्ण अवधि 4 वर्ष के लिये मण्डी शुल्क में छूट प्रदान करने के पश्चात् व मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के मालिक श्री कल्याण प्रसाद की मृत्यु हो जाने के पश्चात् मनगढन्त व गलत तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला उद्योग केन्द्र करौली द्वारा पूर्व में जारी मण्डी शुल्क की छूट संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र जो कि जिला उद्योग केन्द्र करौली के द्वारा मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के पक्ष में जारी किया गया था, की प्रमाणित या द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किये जाने पर जिला उद्योग केन्द्र करौली ने उक्त योग्यता प्रमाण पत्र दिनांक 01.06.2012 की प्रमाणित/द्वितीय प्रति दिनांक 08.09.2015 को जारी कर उपलब्ध करवाई गई। उक्त योग्यता प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज के द्वारा तत्समय ही दिनांक 07.07.2009 को उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था। सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन सिटी को माननीय न्यायालय के समक्ष वसूली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है क्योंकि मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 30.06.2009 को निरस्त करने का अधिकार सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन समिति को नहीं है क्योंकि मण्डी समिति एक निर्वाचित संस्था है। निवेश प्रोत्साहन योजना 2003, जो कि समय समय पर संशोधित की गई है के क्लॉज 13 के उप क्लॉज बी के अनुसार भी मण्डी शुल्क में छूट का आदेश प्रदान करने के पश्चात् एवं सम्पूर्ण अवधि में छूट देने के पश्चात् व प्रारम्भिक छूट के आदेश की दिनांक से 5 वर्ष समाप्त होने के पश्चात् मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज व श्री कल्याण प्रसाद के उत्तराधिकारियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती है। अतः वर्तमान प्रार्थना पत्र इसी आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रोत्साहन योजना 2003 संशोधित दिनांक 02.12.2005 तक के क्लॉज 13 के सबक्लॉज बी निम्नानुसार है–Revision by the State Government- (b) No order under the sub clause (a) shall be passed by the State Government after the expiry of a period five years after the date by which the benefits under the scheme are fully availed of. मण्डी समिति के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में लगाये गये सभी आक्षेपों से इंकार है। उक्त प्रार्थना पत्र मनगढंत, असत्य व पत्रावली के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को मय क्षतिपूर्ति 100000/–रुपये खारिज करने का कथन किया गया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। मैसर्स के.बी. इण्डस्ट्रीज (पूरा नाम कल्याण प्रसाद भगवान सहाय) जी–1 26 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया हिण्डौन ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के स्थित Clause 6 प्रावधान अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (DLSC) से Clause 9(C) ii के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र 7 पर पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना ही केवल Acknowledgement के आधार मण्डी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट हासिल कर मण्डी शुल्क की देय राशि का अपवंचन किया है जो कि नियम विरुद्ध है। फर्म खाद्य तेल (Edible Oil) का कार्य कर रही थी जो कि वित्त

जिला कलक्टर
करौली

विभाग के आदेश क्रमांक F.4(18)FD/Tax Div/2001 Jaipur dated : 28.07.2003 Amended up to 02.12.2005 के Annexure-I के अनुसार List of industries not eligible for the Interest Subsidy की सूची में शामिल है। फर्म मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज पर मंडी शुल्क की बकाया राशि 679000/– अक्षरें छः लाख उन्यासी हजार रूपये है जिसे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के Clause 10 के अंतर्गत उक्त मंडी शुल्क की राशि तथा उस पर देय 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली करने का प्रावधान है। फर्म मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज द्वारा मण्डी शुल्क छूट विवरण के घोषणा पत्र वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 के बावत प्राप्त फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षरयुक्त फोटोप्रति के आधार पर तैयार स्टेंटमेट पर दी गई मण्डी शुल्क की बकाया राशि बतौर ऐरियर लैण्ड रेवन्यू वसूली योग्य है। कल्याण प्रसाद बंसल ने 30.06.2009 को के.वी. इण्डस्ट्रीज, (जिसका पूरा नाम कल्याण भगवान है), के नाम से अधिसूचित कृषि जिन्सो का कारोबार करने का आवेदन कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन में प्रपत्र–7 में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिनिधि व सहायकों के रूप में अप्रार्थी भगवानसहाय एवं भोगराज पिसरान कल्याण प्रसाद का नाम दर्ज किया है तथा कल्याण प्रसाद भगवानसहाय पुरानी मण्डी हिण्डौन का पता दर्ज है। इस प्रपत्र संख्या 7 के समर्थन में अप्रार्थी भगवानसहाय बंसल एवं मुकेश बंसल ने देय मण्डी शुल्क एवं अन्य कर के भुगतान बाबत् गारंटर के रूप में 10–10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिनांक 16.06.2009 को नोटेरी पब्लिक हिण्डौन सिटी से तस्दीक कराकर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। फर्म के प्रोपराईटर श्री कल्याण प्रसाद के फौत होने के उपरांत अप्रार्थीगण द्वारा फर्म का समस्त कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा ना तो फर्म का अनुज्ञापत्र में परिवर्तन हेतु आवेदन किया ना ही अनुज्ञापत्र सरेण्डर किया। अतः विपक्षी नं. 1 और 2 फर्म के प्रतिनिधि होने के कारण तथा विपक्षी नं. 1 व 3 के फर्म में गारन्टर होने इत्यादि कारणों से अप्रार्थीगण देय मण्डी शुल्क की वसूली के लिये पूर्णतयः उत्तरदायी हैं। प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 03.06.2009 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के नियम 9 (C)(2) के प्रावधान के अन्तर्गत जिला स्क्रेनिंग कमेटी का प्रमाण–पत्र नही होने के कारण कानूनी दृष्टि से Void Ab-initio हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के नियम 13 के क्लाज b भी स्क्रीनिंग कमेटी का कोई पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया तो पुनरावलोकन का ऐतराज कानूनी विरूद्ध तथा वर्णित ऐतराज कानूनी दृष्टि से मेंनटेबल नहीं है। कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौनसिटी द्वारा अप्रार्थीगण पर मण्डी शुल्क की राशि बकाया निकाले जाने एवं अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 34(2)(b) के तहत निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अब अवधिपार हो जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मण्डी शुल्क की बकाया राशि के संबंध में अप्रार्थीगण को तत्समय ही निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही की गई। इस स्तर पर चुनौती प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चुनौती को खारिज किये जाने योग्य है। इसलिये तत्समय मण्डी शुल्क की बकाया राशि 6,79,000/–रुपये एवं वसूली दिनांक तक मय ब्याज के बकाया राशि वसूल किये जाने हेतु कृषि विपणी अधिनियम 1961 की धारा 17 एवं धारा 34 के अन्तर्गत ऐरियर लैण्ड रेवेन्यू होने के कारण राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 256, 257 एवं 257ए एवं अग्रिम सम्बन्धित धाराओं के तहत अप्रार्थीगण की सम्पत्तियों– (1) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स भोगराज ट्रेडिंग कम्पनी की है जो पूर्व दिशा झॉकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नम्बर 08 ब्लाक सी में स्थित है, जिसका स्वामी एवम् कब्जा भोगराज बसंल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–7 मैसर्स राधेश्याम रामोतार, उत्तर दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–9 मैसर्स महेश एण्ड कम्पनी। (2) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स कल्याण प्रसाद भगवान सहाय की है जो पश्चिम दिशा झॉकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नम्बर 19 ब्लाक बी में

जिला कलक्टर
करौली

स्थित हैं, जिसका स्वामी एवम् कब्जा भगवान सहाय पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार है–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा–दुकान मय गोदाम पुख्ता बी–20 मैसर्स सत्यप्रकाश महेशचंद, उत्तर दिशा–दुकान मय गोदाम पुख्ता बी–18 मैसर्स मुकेश एण्ड ब्रादर्स। (3) एक पुख्ता दुकान मय गोदाम मैसर्स रामहरि एण्ड ब्रादर्स की है जो पूर्व दिशा झांकती नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन सिटी स्थित दुकान नंबर 22 ब्लॉक सी में स्थित है जिसका स्वामी एवं कब्जा भगवान बंसल पुत्र स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल का है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं–पूर्व दिशा रोड, पश्चिम दिशा रोड, दक्षिण दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–21 खाली है, उत्तर दिशा दुकान मय गोदाम पुख्ता सी–23 खाली है। (4) मैसर्स के.वी. इण्डस्ट्रीज खाता संख्या नामालूम, को कुर्क किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण भगवानसहाय, भोगराज, मुकेश पि. स्व. श्री कल्याण प्रसाद बंसल, जाति महाजन, निवासी पुरानी मण्डी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से बकाया मण्डी शुल्क राशि रुपये 679000 / – अक्षरे छः लाख उन्यासी हजार रुपये को वसूली दिनांक तक मय निर्धारित ब्याज दर के वसूल किये जाने हेतु वसूली योग्य राशि की सीमा तक उक्त अचल सम्पत्ति को कुर्क व विक्रय करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली को एवं चल सम्पत्ति को कुर्क व विक्रय करने के आदेश तहसीलदार, हिण्डौन सिटी, जिला करौली को दिये जाते हैं। अप्राथीगण की सम्पत्ति से वसूली योग्य राशि की सीमा से अधिक वसूली राशि प्राप्त होने पर संबंधित अप्रार्थी को लौटा दी जावे। सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन को निर्देशित किया जाता है कि फर्म का बैंक खाता संख्या कुर्की हेतु तहसीलदार, हिण्डौनसिटी को उपलब्ध करवाये। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रार्थी, उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी व तहसीलदार हिण्डौन सिटी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर,
करौली